संख्या-92/18-4-2025

प्रेषक,

दयाराम यादव
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उदयोग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0,
कानपुर ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 03 फरवरी,2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 12500.00 लाख के परिलक्षित हो रही बचतों की धनराशि में से धनराशि रू0 801.49 लाख का पुनर्विनियोग लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के राज्यांश मद में किये जाने संबंधी वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-72/4-वित्त/पुर्न0/क्लस्टर योजना/2024-25, दिनांक 12.11.2024, जिसके द्वारा क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत औद्योगिक आस्थानों का उच्चीकरण कार्य के तहत औद्योगिक आस्थान जनपद एटा हेतु निर्धारित राज्यांश में से अवशेष धनराशि रू0 143.435 लाख, औद्योगिक आस्थान सिद्दीकपुर जौनपुर हेतु निर्धारित राज्यांश में से अवशेष राज्यांश धनराशि रु० 142.395 लाख, औद्योगिक आस्थान सरायमलुही, सीतापुर हेतु निर्धारित राज्यांश में से अवशेष राज्यांश धनराशि रू0 162.16 लाख, फ्लैटेड फैक्ट्री गोरखपुर हेतु निर्धारित राज्यांश में से अवशेष रू0 203.50 लाख तथा राईस मिल कलस्टर चंदौली (सीएफसी) हेतु रु० 150.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 801.49 लाख की आवश्यकता बताते हुए तद्पूर्ति हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान सं0-003 के तहत उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 12500.00 लाख के सापेक्ष हो रही बचतों की धनराशि रू0 11500.00 लाख में से धनराशि रू0 801.49 लाख का पुनर्विनियोग लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के राज्यांश मद में करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12.11.2024 में किए गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 12500.00 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में बचतों की धनराशि परिलक्षित होने एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के राज्यांश मद में चालू वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्राविधानित नहीं होने के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष में उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उयोग-102-लघु उद्योग-16-उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना-27- सब्सिडी" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-2851-00-102-16-00-27) के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 12500.00 लाख के सापेक्ष परिलक्षित हो रही बचतों की धनराशि में से धनराशि रू0 801.49 लाख (रू0 आठ करोड एक लाख उनचास हजार) मात्र का पुनर्विनियोग लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के राज्यांश मद, लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-03-लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना-27-सब्सिडी (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-2851-00-102-89-03-27) में संलग्न प्रारूप के अनुसार करते हुए श्री राज्यपाल आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 12.11.2024 में उल्लिखित उक्त 05 परियोजनाओं हेतु निर्धारित राज्यांश के सापेक्ष अवशेष राज्यांश की व्यवस्थापनार्थ उक्तानुसार पुनर्विनियोगित कर स्वीकृत धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 801.49 लाख के आहरण से पूर्व आप द्वारा उक्त 05 परियोजनाओं हेतु निर्धारित राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि को उक्त 05 परियोजनाओं हेतु निर्धारित राज्यांश की धनराशि में से घटाने के उपरान्त ही अधोलिखित तालिका में अंकित जनपद-एटा/जौनपुर/सीतापुर/गोरखपुर/चन्दौली की उक्त परियोजनाओं के अवशेष राज्यांश की धनराशि के रूप में व्ययार्थ **सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना (एस0एम0ई0 सी0डी0पी0) से संबंधित गाइड लाइन, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों** एवं उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा परियोजना संबंधी गाइड लाइन का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत धनराशि रू0 801.49 लाख का आहरण किया जा सकेगा एवं इसके सदुपयोगोपरांत प्रमाण-पत्र तथा योजना/परियोजनावार व्यय विवरण एक माह के अंदर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति दिए	परि योजना का नाम	परि योजना हेतु	परि योजना हेतु निर्धारित	राज्यस्तरीय कमेटी की संस्तुति के क्रम में प्रथम किश्त के रूप में राज्यांश	परियोजना हेतु वर्तमान में अवशेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	जाने संबंधी पत्रांक / क्रमांक		निर्धारित केन्द्रांश	राज्यांश	की निर्गत धनराशि (शासनादेश संख्या एवं दिनांक सहित	राज्यांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पत्रांक -1(1324)/ सी0डी0डी0 /आई0डी0/ एटा /2022, दिनांक 23-05-2023	औद्योगिक आस्थान जनपद एटा	रू0 536.40 लाख	रू0 286.87 लाख	धनराशि रू0 143.435 लाख संख्या-739/18-4-2023, दिनांक 04-09-2023	रू0 143.435 लाख
2.	पत्रांक -1(1158)/ सी0डी0डी0 /आई0डी0 सिद्दीकपुर /2020, दिनांक 23-05-2023	औद्योगिक आस्थान सिद्दीकपुर जौनपुर	रू0 389.90 लाख	रू0 284.79 लाख	धनराशि रू0 142.395 लाख संख्या-777/18-4-2023, दिनांक 04-09-2023	रू0 142.395 लाख
3.	पत्रांक-1 (1351)/ सीडीडी/ आईडी सीतापुर/ 2020-22, दिनांक 23-05-2023	औद्योगिक आस्थान सरामलुही, सीतापुर	रू0 510.76 लाख	रू0 282.19 लाख (जी0एस0टी0 सहित रू0 324.32 लाख)	धनराशि रू0 162.16 लाख संख्या-985/18-4-2023, दिनांक 25-10-2023	धनराशि रू0 162.16 लाख
4-	पत्रांक-1(1310)/ सीडीडी/एफएफसी/ गोरखपुर/2021, दिनांक 25-07-2023	फ्लैटेड फैक्ट्री गोरखपुर	रू0 1200.00 लाख	रू0 2192.11 लाख	धनराशि रू0 135.6844 लाख संख्या-1042/18-4-2023, दिनांक 03-02-2023	धनराशि रू0 **203.5266** लाख
5-	पत्रांक-1(1162)/ सीडीडी/सीएफसी/ चंदौली/2021, दिनांक 07-12-2021	राईस मिल कलस्टर चंदौली (सीएफसी)	रू0 1200.00 लाख	रू0 150.00 लाख	धनराशि रू0 50.00 लाख संख्या-330/18-4-2022, दिनांक 25-05-2022	धनराशि रू0 **100.00** लाख

इस शासनादेश की अन्य महत्वपूर्ण शर्तें एवं प्रतिबन्ध अग्रांकित हैं:-

(1) उक्त पुनर्विनियोग से व्यवस्थित धनराशि के व्यय के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि का सदुपयोग सुसंगत नीति/शासनादेशों के अनुसार देय वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित देयताओं हेतु ही हो रहा है एवं इसमें किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) पुनर्विनियोग से व्यवस्थित प्रश्नगत धनराशि हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। राजकोष से आहरित की जाने वाली धनराशि को बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में पात्र लाभार्थियों/संस्थाओं को सीधे भुगतान किया जायेगा।

(3) उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा एवं यदि प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं हो पाती है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31-3-2025 तक वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 / बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

(5) लाभार्थी/इकाइयों को धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि का भुगतान चेक अथवा नगद नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्गत किये गए शासनादेशों एवं इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024- 231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा तत्संबंधी समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों/दिशा-निर्देशों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा व स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों/शासनादेशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता एवं आंकडों की शुद्धता के साथ ही बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आयुक्त एवं निदेशक उदयोग, उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर द्वारा प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(9) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी तथा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा एवं प्रश्नगत प्रकरण में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि की स्वीकृति से सम्बन्धित योजना के दिशा निर्देश प्रभावित न हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) आयुक्त एवं निदेशक उदयोग, उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर द्वारा बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना में केन्द्रांश अवश्य प्राप्त होगा साथ ही केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही भी की जायेगी।

(11) उपर्युक्त पुनर्विनियोग की गई धनराशि रू0 801.49 लाख (रू0 आठ करोड़ एक लाख उनचास हजार) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-03-लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना-27- सब्सिडी" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-2851-00-102-89-03-27) मद में डाली जायेगी तथा लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उयोग-102-लघु उद्योग-16-उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना-27- सब्सिडी" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-2851-00-102-16-00-27) मद में होने वाली बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा इसे वहन किया जायेगा। पुनर्विनियोग प्रपत्र संलग्न है।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के **आर.ई.संख्या-बजट-1-316 दिनाँक 29.01.2025** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

संख्या-92(1)/18-4-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ।

3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0,प्रयागराज/लखनऊ।

4- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0प्र0 प्रयागराज/निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय-125 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ/वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर/लखनऊ।

6- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, उ0प्र0, कानपुर ।

7- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।

9- जिलाधिकारी, एटा/जौनपुर/सीतापुर/गोरखपुर/चन्दौली।

8- वित्त, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1

9- नियोजन अनुभाग-1व 4/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3

10-उप सचिव (श्री पुष्पेन्द्र सिंह), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11-सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

फार्म बी0 एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भांति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या व नाम-003, उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन)

वित्तीय वर्ष 2024-25 **(धनराशि लाख रू0 में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**		
लेखाशीर्षक(15 डिजिट कोड में) अनुदान संख्या-003	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**
1	2	3	4	5	6
राजस्व लेखा 2851-ग्राम तथा लघु उयोग 102-लघु उद्योग- 16-उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना 27-सब्सिडी" (2851-00-102-16-00-27)	12500.00	11500.00	801.49	801.49	11698.51
योग	12500.00	11500.00	801.49	801.49	11698.51

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**		
लेखाशीर्षक(15 डिजिट कोड में) अनुदान संख्या-003	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व लेखा 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग 102-लघु उद्योग 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 03-लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना 27- सब्सिडी (2851-00-102-89-03-27)	00.00	801.49	801.49	801.49	801.49
योग	00.00	801.49	801.49	801.49	801.49

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय न होने के कारण बचत की सम्भावना है।

<u>मांग का औचित्य:</u>- कलस्टर योजनान्तर्गत औद्योगिक आस्थान के उच्चीकरण कार्य हेतु निर्धारित राज्यांश के सापेक्ष जनपद एटा हेतु अवशेष धनराशि रु० 143.435 लाख, औद्योगिक आस्थान सिद्दीकपुर जौनपुर हेतु अवशेष राज्यांश धनराशि रु० 142.395 लाख, औद्योगिक आस्थान सरायमलुही, सीतापुर हेतु अवशेष राज्यांश धनराशि रू0 162.16 लाख, फ्लैटेड फैक्ट्री गोरखपुर हेतु अवशेष राज्यांश रू0 203.50 लाख तथा राईस मिल क्लस्टर चंदौली (सीएफसी) हेतु रु० 150.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 801.49 लाख की आवश्यकता है।

वि0पत्र में ***प्रमाणित किया गया है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।***

<u>आर.ई.संख्या–बजट-1-316 दिनाँक 29.01.2025</u>

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0 प्रयागराज।

हस्ताक्षर ..... **हस्ताक्षर .....**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नाम व पदनाम-दयाराम यादव,अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग -सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।

नाम व पदनाम - अनुराग गुप्ता, विशेष सचिव
वित्त विभाग (वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1)

संख्या-92(1)/18-4-2025,दिनांक 03 फरवरी,2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय/ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, उ0प्र0,कानपुर।
2-कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
3-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2
7- संबंधित पत्रावली/गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम-दयाराम यादव, अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग -सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।